

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, गोरखपुर
(केन्द्रीय नजारत अनुभाग)
नीलामी की नियम व शर्तें


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय जनपद न्यायाधीश न्यायालय भवनखण्ड में स्थित लॉन में गिरे हुए आम के पेड़ एवं कैम्प कार्यालय परिसर में रखी हुई जड़ों की नीलामी की जानी है। उक्त पेड़ों का न्यूनतम मूल्यांकन वन विभाग, गोरखपुर द्वारा निम्नानुसार किया गया है :-


क्र०सं०	प्रजाति	वृक्ष/वोटो की सं०	धनराशि (रु० में)
1	आम गिराट	01	2625/-
2	अवकठ वोटो	08	3113/-
3	ताड़ वोटो, ताड़ जड़ एवं अवकठ का जड़ जलौनी योग्य अनुमानित लगभग	04 कु०	1200/-
	कुल योग-		6938/-

उक्त पेड़ एवं लकड़ियों का न्यूनतम मूल्यांकन मुव० 6938/- रुपये (रुपये छः हजार नौ सौ अठतीस मात्र) निर्धारित किया गया है। इच्छुक व्यक्ति दिनांक 09.08.2024 तक प्रातःकाल 11:00 बजे से अपरान्ह 1:00 बजे तक नजारत अनुभाग में आकर नीलामी हेतु निर्धारित धनराशि मुव० 1,000/- जमा कर बोली में भाग ले सकता है। उक्त पेड़ों की नीलामी दिनांक 12.08.2024 को अपरान्ह 4:30 बजे इस न्यायिक प्रतिष्ठान के 24 कक्षीय न्यायालय भवनखण्ड के सप्तम तल पर स्थित मीटिंग हॉल में की जायेगी।

नीलामी की नियम व शर्तें इस प्रकार है

- नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपना आधार कार्ड, पहचान पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उसे नीलामी में भाग लेने से वंचित कर दिया जायेगा।
- सबसे अधिक बोली बोलने वाले व्यक्ति के पक्ष में नीलामी स्वीकृत की जायेगी किन्तु जनपद न्यायाधीश जो स्वीकृतिकर्ता अधिकारी है, को अन्तिम निर्णय लेने का अधिकार होगा।
- अधिकतम बोली बोलने वाली व्यक्ति को नीलामी की कार्यवाही समाप्त होने पर बोली की सम्पूर्ण धनराशि केन्द्रीय नजारत में जमा करना होगा अत्यथा उसके पक्ष में नीलामी स्वतः समाप्त समझी जायेगी और सम्पूर्ण जमा की गयी धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
- नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को नीलामी में भाग लेने से पूर्व इस आशय का शपथ-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि उसके विरुद्ध न तो कोई आपराधिक मामला पंजीकृत है और न ही किसी भी न्यायालय में विचाराधीन है।
- नीलामी प्राप्त करने वाले व्यक्ति को वन विभाग, गोरखपुर में जॉचोपरान्त उत्पादित प्रकाष्ठ के फैक्टर के अनुसार 38 रु० प्रति टन की दर से तथा 75 रु० सम्पत्ति घन रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करने के उपरान्त वन विभाग, गोरखपुर द्वारा अभिवहन पास निर्गत करने की कार्यवाही की जायेगी।


(सौरभ सिंह)
सदस्य
नीलामी समिति
अपर सिविल जज
(सी०डि०), को०सं०-3


(सुबोध वर्ष्णय)
अध्यक्ष
नीलामी समिति
अपर जनपद न्यायाधीश,
कोर्ट सं०-2, गो०